भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 5170

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 अप्रैल, 2015/4 वैशाख, 1937 (शक) को दिया गया)

कारपोरेट सुशासन

5170. श्री महेश गिरी :
श्री भगवंत खुबा :
श्री बैजयंत जे. पांडा :
श्री संजय काका पाटील :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सख्त नियम बनाए जाने के बावजूद भी, कंपनियों द्वारा कारपोरेट सुशासन की खराब प्रक्रियाओं को बरतने का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश में कारपोरेट क्षेत्र को मजबूत करने/पारदर्शिता सुनिश्चित करने, जवाबदेही और निष्पादन में सुधार हेतु कारपोरेट सुशासन के संबंध में एक विनिर्दिष्ट नीति/दिशा-निर्देश तय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त नीति/दिशा-निर्देशों के मुख्य तत्व क्या हैं और इन नीति/दिशा-निर्देशों में शामिल इलैक्ट्रॉनिकरण के कागज-विहीन मानदंड क्या हैं तथा अब तक इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि प्रदान की गई है;

(ग)क्या इन/दिशा-निर्देशों के प्रारंभ होने से लेकर अब तक सरकार के संज्ञान में उक्त नीति/दिशा-निर्देशों की अवहेलना के मामले आए हैं और यदि हां, तो कंपनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी कंपनियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है;

(घ)क्या सरकार ने उक्त नीति/दिशा-निर्देशों के निर्माण हेतु एक पैनल की स्थापना की है, और यदि हां, तो इस पैनल द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उक्त सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है; और

(ड.) देशभर में कंपनियों से उक्त नीति/दिशा-निर्देशों का समुचित कार्यान्वयन और सख्त अनुपालन कराने एवं कारपोरेट सुशासन में अनुवर्ती सुधार/पारदर्शिता हेतु सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरुण जेटली)**

(क) से (ड.) : कंपनी अधिनियम, 1956 के स्थान पर प्रतिस्थापित कंपनी अधिनियम, 2013, भारत में कंपनियों में कारपोरेट शासन को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न उपबंध शामिल हैं, जिनमें से कई उपबंध विभिन्न समितियों की सिफारिशों पर आधारित हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत हितधारकों के साथ गहन विचार-विमर्श करने के बाद अंतिम रूप दिए गए नियमों के चौबीस सेट भी अधिसूचित किए गए हैं। इन प्रावधानों में अन्य बातों के साथ-साथ बोर्ड व इसकी समितियों अर्थात् लेखापरीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की जिम्मेदारियों में वृद्धि करना, हितधारकों को स्पष्ट जानकारी देना, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता एवं जवाबदेयता सुनिश्चित करने के लिए कड़े मानक, निवेशक सुरक्षा का उच्चतर स्तर बनाना शामिल हैं।

लागू उपबंधों के कार्यान्वयन का प्रथम वर्ष 31.03.2015 को पूरा हो चुका है। नए उपबंधों में निर्धारित अपेक्षाओं की सूचना देने वाले सांविधिक वार्षिक दस्तावेज (फाइलिंग) देने का समय भी नहीं हुआ है। कंपनी रजिस्ट्रार अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के भीतर इस अधिनियम के अंतर्गत किसी उपबंध के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई शुरू करने के लिए प्राधिकृत हैं।

*****